ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं

इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड बनाते हैं, जो सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम को एक राजनीतिक निकाय के रूप में स्थापित करने वाली लिखित और अलिखित प्रक्रियाओं को ब्रिटिश संविधान कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को अक्सर "अलिखित" संविधान वाला कहा जाता है। यह पूरी तरह से सटीक नहीं है क्योंकि यह ज्यादातर विभिन्न दस्तावेज़ों में लिखा गया है। हालाँकि, इसे कभी भी एक दस्तावेज़ में संहिताबद्ध या संकलित नहीं किया गया है। इस संबंध में, यूनाइटेड किंगडम लिखित संविधान के मामले में अधिकांश अन्य देशों से भिन्न है।

हालाँकि ब्रिटिश संविधान पूरी तरह से संहिताबद्ध नहीं है, फिर भी कुछ नियमों, अधिनियमों, सम्मेलनों और विनियमों को संवैधानिक दस्तावेज़ माना जाता है। ये दस्तावेज़ देश के कामकाज को निर्धारित करते हैं और इस 'अलिखित' संविधान को कुछ विशेषताएं प्रदान करते हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित अनुभागों में सूचीबद्ध हैं:

ब्रिटिश संविधान अलिखित है

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ब्रिटिश संविधान भारत (भारतीय संविधान) में मौजूद संविधान की तरह कोई विशेष संहिताबद्ध दस्तावेज़ नहीं है। हालाँकि, यह अलिखित है और कई दस्तावेजों का एक समूह है जो मिलकर देश के नियमों का निर्माण करते हैं। ब्रिटिश संविधान का अलिखित चरित्र अब तक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसा कोई प्रलेखित, सटीक और संक्षिप्त दस्तावेज़ नहीं है जिसे ब्रिटिश संविधान कहा जा सके। इसका मूल कारण यह है कि यह रीति-रिवाजों और राजनीतिक परंपराओं पर आधारित है जो किसी भी पाठ में संहिताबद्ध नहीं हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज़, संसदीय क़ानून, न्यायिक निर्णय और संवैधानिक चरित्र, जैसे मैग्ना कार्टा (1215) , अधिकारों की याचिका (1628) , अधिकारों का बिल (1689) , और 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम , लिखित भागों में से हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश संविधान भी एक मिश्रित संविधान है। ब्रिटिश संविधान राजशाही, कुलीन और लोकतांत्रिक मूल्यों का मिश्रण है। इंग्लैंड में

राजशाही की संस्था को राजत्व की संस्था के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उपस्थिति से पता चलता है कि राजत्व संस्था अस्तित्व में है। इंग्लैण्ड का प्रशासन कुलीन है। हाउस ऑफ कॉमन्स इस बात का प्रतिबिंब है कि इस देश में पूर्ण लोकतंत्र कैसे काम करता है। हालाँकि, इन सभी असमान राजनीतिक पहलुओं को एक दोषरहित प्रतिनिधि लोकतंत्र बनाने के लिए विशेषज्ञ रूप से एक साथ जोड़ दिया गया है।

ब्रिटिश संविधान समय के साथ विकसित होता रहता है

ब्रिटिश संविधान इस बात का उदाहरण है कि समय के साथ चीजें कैसे विकसित हुई हैं। भारतीय संविधान की तरह ब्रिटिश संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कोई मौजूदगी नहीं थी। यह प्रकृति इस तथ्य के कारण है कि यह धीमी वृद्धि और विकास का परिणाम है। इसके निर्माण की कोई विशेष तिथि प्रदान नहीं की जा सकती है, और लोगों का कोई भी समूह इसके लेखक होने का दावा नहीं कर सकता है। इसका एक हजार वर्षों से अधिक समय से निरंतर विकास हो रहा है। इसके विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, और इसका विकास दुर्घटनाओं और उच्च-स्तरीय डिज़ाइन दोनों से प्रभावित हुआ है। कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान बुद्धिमता और सामाजिक परिस्थितियों दोनों का परिणाम था। मैग्ना कार्टा से लेकर बिल ऑफ राइट्स 1689, सेटलमेंट एक्ट 1701 , यूनियन संधि और एक्ट 1706-1707, यूनियन एक्ट 1800 से पार्लियामेंट एक्ट 1911 तक एक हजार से अधिक वर्षों से इसका निरंतर विकास और सुधार हुआ है। और 1949 से यूरोपीय समुदाय अधिनियम 1972 तक मानवाधिकार अधिनियम 1998 से लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स अधिनियम 1999 और यूरोपीय संघ (निकासी) अधिनियम 2018 तक ।

ब्रिटिश संविधान लचीला है

अलिखित संविधान की सबसे स्पष्ट विशेषताओं में से एक वह लचीलापन है जो असंहिताबद्ध संरचना के साथ आता है, जिसे एक ही समय में गुण और दोष माना जा सकता है। लचीले संविधान का एक विशिष्ट उदाहरण ब्रिटिश संविधान है। चूँकि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर स्थापित नहीं किया गया है, इसे संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित, बदला और निरस्त किया जा सकता है। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है. अनुकूलन और समायोजन का गुण लंबे समय से ब्रिटिश संविधान में लचीलेपन कारक से जुड़ा हुआ है। इस विशेषता ने उसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की अनुमति दी है। इसके

विपरीत, भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। हालाँकि, भारतीय संविधान में संशोधनों को एक कठिन प्रक्रिया के बाद ही मंजूरी दी जाती है।

ब्रिटिश संविधान का चरित्र एकात्मक है

संघीय संविधान के विपरीत, ब्रिटिश संविधान का चरित्र एकात्मक है। ब्रिटिश संसद, जो एक संप्रभु संस्था है, का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह राज्य के कार्यकारी अंगों के अधीन है, जिनके पास प्रत्यायोजित शक्तियाँ हैं और वे इसके प्रति जवाबदेह हैं। ब्रिटेन के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक विधायिका है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शेष यूनाइटेड किंगडम राजनीतिक स्वायत्त इकाइयों के बजाय प्रशासनिक से बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघीय मॉडल को अपनाने के बजाय, यूनाइटेड किंगडम एक हस्तांतरणीय प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें राजनीतिक शक्ति धीरे-धीरे विकेंद्रीकृत होती है। हस्तांतरण संघवाद से इस पहलू में भिन्न है कि संघवाद के विपरीत, हस्तांतरण में क्षेत्रों को संवैधानिक शक्तियों की गारंटी नहीं दी जाती है।

ब्रिटिश संविधान संसदीय कार्यपालिका को बढ़ावा देता है

यूनाइटेड किंगडम संसदीय प्रणाली द्वारा शासित है। राजा की सारी शक्तियाँ और अधिकार उससे छीन लिये गये। जो मंत्री संसद में बहुमत दल के होते हैं और तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनकी पार्टी का उन पर भरोसा बना रहता है, वे सच्चे पदाधिकारी होते हैं। प्रधान मंत्री और उनके मंत्रियों के कार्य और नीतियां विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। इस प्रणाली में सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएँ अलग नहीं होती हैं, क्योंकि वे सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप में होती हैं।

ब्रिटिश संविधान एक संप्रभु संसद को बढ़ावा देता है

संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का एक प्रमुख पहलू है। संसदीय संप्रभुता इस तथ्य को संदर्भित करती है कि संसद सरकार के कार्यकारी और न्यायिक क्षेत्रों से श्रेष्ठ है और इसलिए उसके पास किसी भी कानून को अपनाने या निरस्त करने की शक्ति है। संसद देश में एकमात्र विधायी निकाय है जिसके पास अप्रतिबंधित विधायी शक्तियां हैं, जो उसे किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने और समाप्त करने की अनुमति देती है। ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए अदालतों के अलावा कोई शुद्ध तरीका नहीं है। संसद अपने अधिकार से संविधान में परिवर्तन भी कर सकती है जैसे कि यह कोई

सामान्य कानून हो। इसमें जो वैध है उसे अवैध बनाने और जो अवैध है उसे वैध बनाने की शक्ति है। पूरे इतिहास में राजा, चर्च, अदालतों और लोगों के बीच सत्ता की लड़ाई की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप संसद संप्रभु बन गई।

ब्रिटिश संविधान कानून के शासन को कायम रखता है

यूनाइटेड किंगडम की तरह आधुनिक कानूनी प्रणालियाँ, कानून के शासन को एक मौलिक आधार के रूप में देखती हैं। इसे "स्वतंत्र समाज में लोकतांत्रिक मताधिकार जितना ही महत्वपूर्ण" और यहां तक कि "अंतिम शासकीय सिद्धांत जिस पर संविधान स्थापित किया गया है" के रूप में संदर्भित किया गया है। यह कार्यपालिका को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है। यह केवल सभी नागरिकों पर कानून के समान अनुप्रयोग ('कानून के समक्ष समानता') के साथ मिलकर काम करने और संवैधानिक राजतंत्र के ढांचे के भीतर संसदीय संप्रभुता के कानूनी दर्शन को बनाए रखने के लिए विकसित हुआ है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून के शासन को कायम रखना है। कानून के शासन के सिद्धांत हैं:

- कानून की नजर में हर कोई समान है, चाहे उनका पद या ओहदा कुछ भी हो।
- यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कानून सर्वोच्च है।
- सक्षम न्यायालय द्वारा निष्पक्ष और पर्याप्त सुनवाई के बिना, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता या कैद नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता या उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी नियमित अदालत में नियमित प्रक्रिया के माध्यम से कानून का कोई विशिष्ट उल्लंघन साबित न हो।

ब्रिटिश संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका निर्धारित करता है

यूनाइटेड किंगडम में कानून का शासन इस तथ्य से संरक्षित है कि न्यायाधीशों को केवल महत्वपूर्ण कदाचार के लिए पद से हटाया जा सकता है और केवल उस प्रक्रिया के बाद जिसके लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, न्यायाधीश बिना किसी डर या पक्षपात के अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यही दृष्टिकोण भारत में भी अपनाया गया है, जहां न्यायिक स्वतंत्रता को संविधान का एक स्पष्ट घटक माना जाता है।